

:: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नलिखित प्रधानाचार्य-उपाधि एवं समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारी का स्थानान्तरण / स्थानान्तरण संशोधन तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापन स्थान के कॉलेज में अंकित विद्यालय में किया जाता है:-

	नाम कार्मिक की/बीमारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1	JAGDISH CHANDRA	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, DAI KADA TO Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Jodhpur	JODHPUR	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, DAI KADA	JODHPUR
2	MOHAMMAD RAFIQUE KHAN	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Jodhpur TO GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, DAI KADA JODHPUR	JODHPUR	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Jodhpur	JODHPUR
3	ARPAN CHAUDHARY (visually impaired)	G.HR.SEC.SCHOOL RAMNAGAR AJMER TO GOVT. NARAYAN HIGHER SECONDARY SCHOOL BIJAINAGAR, NP_VIJAYNGR_WARD NO.3, VIJAYNAGAR (URBAN AREA) (221751)	AJMER	G.HR.SEC.SCHOOL RAMNAGAR AJMER	AJMER
4	PURUSHOTTAM SHARMA	GOVT. SR. SEC. SCHOOL, SARANA, SARANA, SARANA (221794) to GOVT. HR.SEC. SCHOOL ETMARIA, ETMARIA, ETMARIA (214454), BHILWARA	AJMER	GOVT. NARAYAN HIGHER SECONDARY SCHOOL BIJAINAGAR, NP_VIJAYNGR_WARD NO.3, VIJAYNAGAR (URBAN AREA) (221751)	AJMER
5	RAM KUMAR PANWAR	G.SR.SEC.SCHOOL, TAKHATPURA TO Govt Sr Sec School CHHANIBARI SCHN HANUMANGARH	BIKANER	G.SR.SEC.SCHOOL, TAKHATPURA,	BIKANER
6	SMT.HEENA PATEL (visually impaired)	Govt Sr Sec School CHHANIBARI SCHN TO G.SR.SEC.SCHOOL, TAKHATPURA Bikaner	HANUMANGARH	Govt Sr Sec School CHHANIBARI SCHN	HANUMANGARH

उक्त कार्मिक तत्काल स्थानान्तरित स्थान हेतु शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त होकर संबंधित विद्यालय में कार्यग्रहण करते हुए शाला दर्पण से संबंधित समस्त प्रकार की प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावे। तब समय से अनुपस्थित कार्मिक कार्यमुक्त न होकर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें। वर्तमान स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त हो तो तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे। राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा संवर्ग के कार्मिक (RVRES) यदि शहरी क्षेत्र के विद्यालय में स्थानान्तरित हो गये हैं तो वे कार्यमुक्त व कार्यग्रहण न करें। जिस स्थानान्तरित कार्मिक के नाम के सम्मुख टीए/डीए अंकित है उन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।


(नथमल डिंडेल)

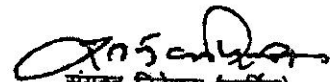
I.A.S.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

शिविरा/सा/संस्था/बी-11/45002/प्रधाना/स्था./2018

दिनांक 29.09.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), प्राथमिक
- 2 संयुक्त शारान सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
- 3 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
- 5 सैरटम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक।
- 7 सम्बंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ नियंत्रण अधिकारी को पारंद किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिक के संबंध में कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्ति का अपने स्तर प्रबंधन करते हुए आज ही आवश्यक रूप से कार्यमुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
- 8 सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण
- 9 संबंधित, संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक को तत्काल पालनार्थ।
- 10 रचित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रारंभिक)

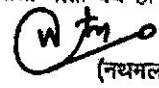
:: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नलिखित प्रधानाचार्य-उपाधि एवं समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारी का स्थानान्तरण / स्थानान्तरण संशोधन तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापन स्थान के कॉलेज में अंकित विद्यालय में किया जाता है:-

क्र.	नाम कार्मिक बी/बीनती	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1	VIBHA BHARDWAJ	GOVT. CENTRAL GIRLS HR. SECONDARY SCHOOL HOLIDARA, NP_AJMER CITY WARD NO 63, AJMER CITY (URBAN AREA) (221873) to GOVT. HR.SEC. SCHOOL DABLA, DABLA (214813)	Bhilwara	G.HR.SEC.SCHOOL PANER, KISHANGARH (08210101501) (PUSHKAR)	AJMER

उक्त कार्मिक तत्काल स्थानान्तरित स्थान हेतु शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त होकर संबंधित विद्यालय में कार्यग्रहण करते हुए शाला दर्पण से संबंधित समस्त प्रकार की प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावे। लंबे समय से अनुपस्थित कार्मिक कार्यमुक्त न होकर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करें। वर्तमान स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त हो तो तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे। राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा संवर्ग के कार्मिक (RVRES) यदि शहरी क्षेत्र के विद्यालय में स्थानान्तरित हो गये हैं तो वे कार्यमुक्त व कार्यग्रहण न करें। जिस स्थानान्तरित कार्मिक के नाम के सम्मुख टीए/डीए अंकित हैं उन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।


(नथमल डिडेल)

L.A.S.

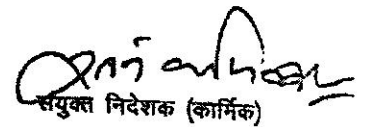
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

शिविर/मा/संस्था/बी-1/45002/प्रधाना/स्था./2018

दिनांक 29.09.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), प्राथमिक
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2)विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यगल-माध्यमिक।
7. सम्बंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ नियंत्रण अधिकारी को पाबंद किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिक के संबंध में कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्ति का अपने स्तर प्रबोधन करते हुए आज ही आवश्यक रूप से कार्यमुक्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
8. सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण
9. संबंधित, संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक को तत्काल पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रायली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)